बुधवार, 12 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

आशुतोष शर्मा चोट के कारण वनडे कप मैच से बाहर हो गए

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर का इशारा, रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने को बताया 'पैटर्न'

Page-05

'वंदे मातरम' को भी मिला कानूनी संरक्षण
राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद बना कानून

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है और इसके तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के समान कानूनी संरक्षण मिल गया है।संसद के मानसून सत्र के दौरान पिछले महीने इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसके जरिए 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के सम्मान को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाना है।संशोधित कानून के तहत अब 'वंदे मातरम' के गायन को जानबूझकर रोकना या किसी सभा में इसके गायन के दौरान बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।इससे पहले 1971 के कानून में राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' को लेकर इस तरह के प्रावधान मौजूद थे। कानून के तहत किसी व्यक्ति को जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकना या राष्ट्रगान गाने वाली सभा में बाधा डालना अपराध था। इसके लिए भी तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। वहीं, दूसरी बार और उसके बाद हर बार दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की जेल की सजा का प्रावधान था।

संसद में हंगामा जारी, बिना चर्चा दो बिल पास

खरगे के मुद्दे पर विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट

संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच दो अहम विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए। वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष ने अपने नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की खरगे की मांग को भी सभापति ने स्वीकार नहीं किया।लोकसभा में मंगलवार को केरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसद इस दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग करते हुए प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंच गए। हंगामे के कारण दोनों विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और सरकार ने इन्हें बिना बहस के पारित करा दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शामिल दलों के सांसदों ने उस समय सदन से बहिर्गमन किया, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उपसभापति हरिवंश द्वारा बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। जिस समय विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया, उस वक्त राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पर चर्चा चल रही थी।इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मुद्दा सदन में उठाने की खरगे की मांग को खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होने के बाद सभापति ने इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हमेशा विपक्ष के नेता के दबाव में रहते हैं।उधर, केंद्र सरकार ने लोकसभा में ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ा एक अहम आंकड़ा भी पेश किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा की जगह लागू किए गए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी अधिनियम के तहत योजना लागू होने के एक महीने के भीतर ही 9.69 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस सृजित किए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक, वीबी-जीराम-जी योजना को 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण इलाकों में लागू किया गया है।संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जब सदन की कार्यवाही बाधित होती है तो उन्हें दुख होता है। बिरला ने कहा कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए सहमति दे दी है, ऐसे में विपक्ष को अब सदन चलने देना चाहिए।उन्होंने साफ कहा कि संसद केवल सत्ता पक्ष की नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। सदन को मिलकर चलाना सभी की जिम्मेदारी है। हालांकि, मंगलवार को भी हंगामे और राजनीतिक टकराव के चलते संसद की कार्यवाही अपेक्षित तरीके से नहीं चल सकी।

PM E-DRIVE स्कीम 2028 तक बढ़ी, लेकिन EV खरीदने वालों को झटका

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने PM E-DRIVE स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 तक कर दी है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाले इंसेंटिव में कटौती की गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रति किलोवाट-घंटे यानी kWh मिलने वाली सहायता को आधा कर दिया गया है।भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, PM E-DRIVE स्कीम का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। सरकार ने पूरी योजना के लिए 11,900 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।हालांकि, यह एक फंड-लिमिटेड स्कीम है। यानी योजना के लिए निर्धारित राशि खत्म होने पर इसके किसी हिस्से को तय अंतिम तारीख से पहले भी बंद किया जा सकता है। ऐसे में स्कीम की अवधि बढ़ने के बावजूद इसका लाभ उपलब्ध फंड और तय नियमों के आधार पर ही मिलेगा। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाला इंसेंटिव 5,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर 2,500 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रति वाहन अधिकतम इंसेंटिव की सीमा भी अब 5,000 रुपये तय की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता था।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा फैसला

JPSC प्री और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी: हेमंत सोरेन

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC की प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की सरकार की तैयारी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL से जुड़ी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। इसके लिए IIT और IIM जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों से सलाह लेकर परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधार किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, ताकि छात्रों के बीच पैदा हुए असंतोष को दूर किया जा सके।विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्र आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, विपक्ष को छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय युवा उम्मीदवारों को गुमराह किया जा रहा है।सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर गंभीर है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि लाखों लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं और छोटे, मध्यम तथा बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे।मुख्यमंत्री ने झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि हाल की भर्ती परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों में 75 से 100 फीसदी तक अभ्यर्थी राज्य के मूल निवासी रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान दूसरे राज्यों के लोगों ने झारखंड में बड़े पैमाने पर नौकरियां हासिल कीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं।उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के लिए सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो गया है और इसी वजह से विधानसभा की कार्यवाही समय से पहले स्थगित करनी पड़ी।

हिमाचल प्रदेश में भारी मॉनसून बारिश का असर जारी

हिमाचल प्रदेश में भारी मॉनसून बारिश का असर जारी है। 30 जून से अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल नुकसान 886 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है। राज्य में सड़कों, बिजली के बुनियादी ढांचे, पानी की सप्लाई सिस्टम, घरों और अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि कई जिलों में बचाव और बहाली का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी नुकसान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून से 9 अगस्त के बीच बारिश से जुड़ी घटनाओं में 157 लोगों की मौत हुई है और 257 लोग घायल हुए हैं। दो लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। कुल 157 मौतों में से 68 मौतें प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूस्खलन, डूबने, सांप के काटने और गिरने के कारण हुईं, जबकि 89 लोगों की मौत इस दौरान सड़क हादसों में हुई। चंबा में सबसे ज़्यादा 24 मौतें दर्ज की गईं, इसके बाद कांगड़ा और कुल्लू का नंबर है, जहां 21-21 मौतें हुईं। शिमला में 20 मौतें दर्ज की गईं, जबकि लाहौल और स्पीति में 18 मौतें हुईं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी राज्य में सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर (SEOC) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 106 सड़कें बंद हैं।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:

ED की जांच में 2,883 करोड़ की कथित अवैध कमाई का दावा

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ED के रायपुर जोनल ऑफिस में हुई। एजेंसी की यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है, जिसमें राज्य की आबकारी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और अवैध कमाई के आरोपों की पड़ताल की जा रही है।रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब ED इस मामले में पहले ही 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। करीब दो महीने पहले एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए थे। इन आदेशों के तहत करीब 200 करोड़ रुपये की डीड वैल्यू और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बाजार कीमत वाली संपत्तियों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया था।ED के मुताबिक, यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी EOW/ACB की ओर से दर्ज FIR से जुड़ी हुई है। एजेंसी का आरोप है कि साल 2019 से 2023 के बीच राज्य की आबकारी व्यवस्था में एक संगठित शराब सिंडिकेट ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हेरफेर किया।जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क में कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की भूमिका रही। ED का दावा है कि शराब की खरीद में बढ़ी हुई कीमतें, बिना हिसाब-किताब वाली शराब का कथित अवैध उत्पादन और चुनिंदा कंपनियों को FL-10A लाइसेंस जारी किए जाने के जरिए कमीशन वसूला गया।

मक्का डिफेंस डील की पहली परीक्षा में हूथी हमला पाकिस्तान-तुर्की की चुप्पी से उठे सवाल

सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तुरंत बाद जाज़ान में अरामको रिफाइनरी पर हूथी हमला हुआ।समझौते में एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माने जाने की बात कही गई है, लेकिन हमले के बाद कोई संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखी।ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह समझौता वास्तव में सामूहिक सुरक्षा की गारंटी है या अभी केवल रक्षा सहयोग का एक ढांचा है।

पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' (मक्का संयुक्त रक्षा समझौता) को अपनी पहली बड़ी परीक्षा में नाकामी का सामना करना पड़ा है। यमन के ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों ने जाज़ान में अरामको रिफाइनरी पर हमला किया, लेकिन इस नए बने गठबंधन ने हमले का कोई साफ़ सैन्य जवाब नहीं दिया और न ही कोई चेतावनी जारी की। जाज़ान में अरामको रिफाइनरी में आग रविवार सुबह लगी। हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि सादा और हज्जा प्रांतों में सऊदी ड्रोन ऑपरेशन्स के जवाब में उनके समूह ने ड्रोन से इस सुविधा को निशाना बनाया था। बाद में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने आग लगने की पुष्टि की और बताया कि आग बुझा दी गई है। यह घटना सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की मक्का में हुई मुलाक़ात और शुक्रवार को हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक 48 घंटे बाद हुई। इस समझौते के तहत, तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। फिर भी, जाज़ान पर हूथी हमले के बाद न तो तुर्की और न ही पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया दी, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि असल संकट के समय यह सामूहिक रक्षा व्यवस्था कैसे काम करेगी। द जेरूसलम पोस्ट के एक विश्लेषण के अनुसार, कुछ इज़राइली कमेंट्री में इस समझौते को "इस्लामिक NATO" या एक बड़े सुन्नी गठबंधन की नींव के तौर पर दिखाया गया है; कुछ जगहों पर तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी परमाणु सुरक्षा कवच (न्यूक्लियर अम्ब्रेला) की बात भी कही गई है।

हालांकि, समझौते की उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि यह व्यवस्था उतनी 'ऑटोमैटिक' (अपने-आप लागू होने वाली) नहीं है। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक प्रतिरोध (डिटेरेंस) को मज़बूत करना है। समिट के बयान के अनुसार, तीनों में से किसी भी देश पर सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। समिट के बयान में कहा गया, "इस समझौते का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मज़बूत करना है। इसमें यह प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे उन सभी पर हमला माना जाएगा। साथ ही, इसमें तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने की बात भी कही गई है। हालांकि इस समझौते में ऑपरेशन या सैन्य प्रतिबद्धताओं का विस्तार से ज़िक्र नहीं है, लेकिन यह बेहतर रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार करता है और क्षेत्र व उसके बाहर शांति, स्थिरता और सुरक्षा को अपने व्यापक लक्ष्यों के तौर पर पहचानता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अनादोलु एजेंसी से बात करते हुए समझौते के बारे में कुछ सबसे स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामूहिक रक्षा वाला प्रावधान तकनीकी रूप से NATO के आर्टिकल 5 जैसा ही है और इस व्यवस्था में एक मंत्री-स्तरीय समिति और सऊदी अरब में स्थित एक स्थायी सचिवालय शामिल होगा।

भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी सेना से पूछे तीखे सवाल

पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के दौरान दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी होने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर आदिल रजा ने दावा किया है कि DGMO स्तर पर हुई बातचीत के दौरान भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी अधिकारी से एलएसी पर करीब 400 तोपें भेजने की वजह पूछा। (रिपोर्ट्स में 250 चीनी मूल के SH-15 तोप भेजे जाने का दावा)। इसपर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने पहले रूटीन तैनाती बताया लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 'एहतियात बरतने के लिए तोपों की तैनाती की गई हैं।' नवभारत टाइम्स इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन मेजर आदिल रजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ऐसी बातचीत होने का दावा किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से करीब करीब हर हफ्ते भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (DGMO) के बीच बातचीत होती है ताकि तनाव को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ अभी कासिफ अब्दुल्ला हैं जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं। वहीं भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस. पेंढारकर हैं। मेजर आदिल रजा ने दावा किया कि भारतीय डीजीएमओ ने जब जोर देकर तोपों की तैनाती पर सवाल पूछा तो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा 'पीओके में भारत अशांति फैला रहा है और जेकेएलएफ का खतरा है इसीलिए एहतियातन तोपों की तैनाती की गई है।'

7.4 तीव्रता के भूकंप से कोलंबिया में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत

पश्चिमी कोलंबिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए

दक्षिण अमेरीकी महाद्वीप के कोलंबिया में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप के ये झटके पश्चिमी कोलंबिया में महसूस किए गए। इस जबरदस्त भूकंप ने दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और पड़ोसी इक्वाडोर को हिलाकर रख दिया। भूकंप की वजह से लोग घबरा गए और आनन-फानन में लोगों को अपने घरों और इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी, दोनों ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई। दोनों एजेंसियों का कहना है कि भूकंप का केंद्र काफी गहराई में था। दोनों ने भूकंप का केंद्र सैन होजे डेल पाल्मार बताया, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लगभग 250 मील (400 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित एक इलाका है। फिलहाल इस भूकंप के बाद अधिकारियों ने बताया कि इमारतें गिरने के कई मामले सामने आए हैं। इमारतों में कई लोगों के दबे होने की सूचना भी मिल रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 79 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अलग-अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि यह भूकंप जून के आखिर में वेनेजुएला में लगातार आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों के बाद आया है। उन भूकंपों में सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गई थीं और 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह वेनेजुएला में पिछले 125 सालों का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस आपदा ने पूरे देश को हिला दिया। मध्य और पश्चिमी कोलंबिया में छोटे भूकंप, जिन्हें "टेम्ब्लोरेस" कहा जाता है, आम हैं, लेकिन 6.0 तीव्रता से ज़्यादा वाले भूकंप कम ही आते हैं। 1999 में, अर्मेनिया शहर के पास 6.2 तीव्रता के भूकंप में 1,100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

झारखंड प्रदर्शन को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला

धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर संसद से बचने और छात्रों के हितों के बारे में झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी के पास तथ्यों की कमी है और विपक्ष के नेता, जो झूठ बोलने के आदी हैं, न तो संसद आना चाहते हैं और न ही जवाब सुनना चाहते हैं। वे बस अपना झूठ फैलाना और मगरमच्छ के आँसू बहाना चाहते हैं। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा कथित तौर पर बल प्रयोग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव के दौरान ये बातें कहीं गईं। प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेबुनियाद, तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कामकाज में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी पर बिना किसी आधार या तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। प्रधान ने विपक्ष पर देश और युवाओं के भले से ज़्यादा राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर 'संसद भवन' के कामकाज में बाधा डाल रही है और देश व युवाओं के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी संसद के अंदर चर्चा का मौका आता है, विपक्ष बाहर विरोध-प्रदर्शन करता है, जिससे पता चलता है कि वे जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने युवाओं से जुड़ी घटनाओं पर कांग्रेस के चुनिंदा रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र भी 'चुनिंदा' है – जहां उनकी सरकार है वहां युवाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, और जहां वे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं वहां झूठ और हंगामा।

रूस के जपोरिज्जिया, कीव और अन्य क्षेत्रों पर हमलों में 12 लोग मारे गए

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष दिन-ब-दिन और अधिक घातक होता जा रहा है। मंगलवार तड़के दोनों देशों ने एक-दूसरे के इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जपोरिज्जिया और राजधानी कीव में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई, वहीं यूक्रेन के पलटवार से रूस के वोरोनिश क्षेत्र में बड़े ऑनलाइन रिटेलर के दो गोदाम जलकर खाक हो गए। जपोरिज्जिया के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के अनुसार, रूसी सेना ने शहर पर मिसाइलों और हवाई बमों से भीषण बमबारी की। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद इमारतों और वाहनों में आग लग गई। इसके अलावा राजधानी कीव में भी हवाई हमले के अलर्ट जारी किए गए। कीव के सैन्य प्रशासन और मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, मध्य जिले में गोदामों में आग लग गई और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं, डनिप्रोपेट्रोव्स्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में भी रातभर हुए हमलों में 6 लोगों की मौत हुई और 16 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ, यूक्रेन ने भी रूसी सीमा पार कर वोरोनिश क्षेत्र को निशाना बनाया। वोरोनिश के गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने बताया कि वायु रक्षा इकाइयों ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। हालांकि, ड्रोन का मलबा गिरने से ऑनलाइन रिटेलर वाइल्डबेरीज के दो बड़े गोदामों में भीषण आग लग गई। गवर्नर के मुताबिक, एक गोदाम में 16,000 वर्ग मीटर के दायरे में आग लगी। दूसरे परिसर में 20,000 वर्ग मीटर का इलाका आग की लपटों में घिर गया। इस हमले में रूस में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यह ताजा विनिमय सोमवार को रूस के तातारस्तान क्षेत्र स्थित निझनेकामस्क के तेल हब पर हुए घातक यूक्रेनी हमले के बाद देखने को मिला है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, निझनेकामस्क रिफाइनरी पर हुए उस हमले में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। यह चार साल से जारी इस युद्ध में रूसी धरती पर हुए सबसे विनाशकारी हमलों में से एक माना जा रहा है।

संपादक की कलम से

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सरकारी कार्यक्रमों में इसे पूरा गाने की अनिवार्यता और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों ने राष्ट्रवाद, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसी संदर्भ में इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम बनाते समय व्यवहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ गीत है। इसके प्रति सम्मान देश की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान है। लेकिन किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान केवल इसलिए पैदा नहीं किया जा सकता कि उसके लिए कानून बना दिया गया है। सम्मान की भावना स्वाभाविक होनी चाहिए और उसे समाज में शिक्षा, जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।थरूर ने कार्यक्रमों की अवधि को लेकर जो सवाल उठाया है, वह भी विचारणीय है। यदि किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत समेत कई औपचारिक प्रस्तुतियों को अनिवार्य किया जाता है, तो कार्यक्रम की अवधि बढ़ना स्वाभाविक है। सवाल यह नहीं है कि देशभक्ति के गीत कितने लंबे हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हर सरकारी कार्यक्रम में एक ही तरह की अनिवार्यता जरूरी है?राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों का उद्देश्य लोगों में सम्मान की भावना को मजबूत करना होना चाहिए, न कि अनजाने में भय का माहौल पैदा करना। यदि किसी व्यक्ति को यह डर रहे कि किसी प्रोटोकॉल का पालन न करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो सम्मान की भावना कहीं पीछे छूट सकती है। कानून की भूमिका अनुशासन बनाए रखने तक सीमित होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने का काम समाज और संस्थाओं को करना चाहिए।वहीं दूसरी ओर, विपक्ष को भी ऐसे मुद्दों पर केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' दोनों ही देश की राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इनका सम्मान किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा जिम्मेदारी है।जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रवाद को राजनीतिक बहस का हथियार बनाने के बजाय उसे नागरिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह समझना भी है कि सम्मान आदेश से नहीं, विश्वास और भावना से पैदा होता है। सरकार को कानून लागू करते समय इसी संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि 'वंदे मातरम' के सम्मान का उद्देश्य पूरा हो और यह मुद्दा राजनीतिक टकराव का कारण न बने।

तमिलनाडु विधानसभा में NEET के खिलाफ प्रस्ताव पास बीजेपी ने किया विरोध और वॉकआउट

तमिलनाडु विधानसभा ने NEET को खत्म करने की मांग वाला प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया।DMK के साथ AIADMK, कांग्रेस और अन्य दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि बीजेपी विधायक ने इसका विरोध किया।स्टालिन सरकार ने NEET को सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए केंद्र से कानून में बदलाव की मांग की।

तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को NEET को खत्म करने की मांग को लेकर बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सदन में बहुमत का समर्थन मिला। D M K के अलावा AIADMK, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन दिया। हालांकि, विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक एम. भोजराजन ने इसका विरोध किया और मतदान में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के. अरुणराज ने NEET के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए लागू राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है। मंत्री ने केंद्र सरकार से संबंधित केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने की मांग की, ताकि तमिलनाडु में MBBS समेत स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए NEET की अनिवार्यता खत्म की जा सके।तमिलनाडु सरकार लंबे समय से NEET का विरोध करती रही है। सरकार का तर्क है कि इस परीक्षा का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि NEET की तैयारी के लिए महंगे निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं।सरकार के मुताबिक, 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों पर एक ही प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाए।हालांकि बीजेपी विधायक एम. भोजराजन ने सरकार के तर्कों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि NEET तमिलनाडु के छात्रों के लिए अवसर और उम्मीद लेकर आया है। उनके मुताबिक, छात्रों को NEET की तैयारी के लिए महंगे निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय राज्य सरकार को विशेष योजना बनाकर सरकारी स्तर पर छात्रों को कोचिंग उपलब्ध करानी चाहिए।भोजराजन ने इसके बाद विधानसभा में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की और सदन से बाहर निकल गए।वहीं AIADMK ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। पार्टी विधायक ओ.एस. मणियन ने कहा कि AIADMK NEET के विरोध की अपनी नीति पर कायम है। DMK विधायक मुथुराजा ने भी प्रस्ताव के समर्थन में पार्टी का रुख स्पष्ट किया। इस तरह NEET के मुद्दे पर तमिलनाडु विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े हिस्से की एकजुटता देखने को मिली, जबकि बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया।

संसद में आमने-सामने प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल, 'राहुल गांधी शर्म करो' के नारों पर भिड़े नेता

संसद में मंगलवार को सत्ता पक्ष एनडीए द्वारा विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनडीए और विपक्ष के सांसदों के बीच बहस भी देखने को मिली। दरअसल, प्रदर्शन के दौरान एक मौका ऐसा आया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का आमना-सामना हो गया। जब प्रियंका गांधी संसद की तरफ जा रही थीं, तो बीजेपी सांसद ने 'राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाने लग गए। इस दौरान बीजेपी सांसद दलाल के हाथों में 'झारखंड में छात्रों पर हुई निर्दयता पर राहुल गांधी जवाब दो' के पोस्टर थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की। यह कहते हुए कांग्रेस सांसद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की। उन्होंने संसद परिसर में सत्तापक्ष के सांसदों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर भी तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहली बार मैंने देखा है कि सत्तापक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया है। अब उन्हें (अमित शाह को) आकर बयान देना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड कब आए? राहुल गांधी और केजरीवाल झारखंड जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? प्रियंका (गांधी वाड्रा) ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं। तो, मैंने उनसे पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। झारखंड में, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, युवाओं की बेरहमी से पिटाई हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं जाते? असल में, वे इन सबसे भाग रहे हैं, और उन्हें वहां जाना चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पहले तो विपक्ष ने चर्चा के लिए इतना हंगामा किया। अब जब चर्चा होने वाली है, तो वे इससे भाग रहे हैं। वे अमित शाह को सुनना नहीं चाहते। ऐसे में सदन कैसे चलेगा? देश देख रहा है कि वे कैसे देश विरोधी ताकतों के हाथों में पड़ गए हैं। यह शर्म की बात है कि उन्होंने इसमें एक दिन भी सदन नहीं चलने दिया।

'वंदे मातरम' को पूरा गाने की अनिवार्यता पर शशि थरूर का सवाल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को पूरा गाने की नई ज़रूरत की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि कई देशभक्ति गीतों को पूरा गाने में लगने वाला लंबा समय दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ले सकता है। थरूर की यह टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंज़ूरी दिए जाने के बाद आई है। इस विधेयक के तहत 'वंदे मातरम' को भी राष्ट्रगान की तरह ही कानूनी सुरक्षा मिल गई है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इस संशोधन को मंज़ूरी दी गई थी; राज्यसभा ने इसे 29 जुलाई को और लोकसभा ने अगले दिन पारित किया था। इस कानून में राष्ट्रीय गीत को जानबूझकर गाने से रोकने या इसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालने पर सज़ा का प्रावधान है, जिसमें तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। X पर एक पोस्ट में, थरूर ने कहा कि वह 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' दोनों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन नए प्रोटोकॉल के लिए ज़रूरी समय को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने Vande Mataram संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। संसद में बिना किसी चर्चा के पारित हुए इस संशोधन के तहत, किसी भी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत और समापन पर राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रगीत को भी पूरा गाना ज़रूरी है। थरूर ने कहा कि वह 'वंदे मातरम' के शुरुआती हिस्से से तो परिचित हैं, लेकिन इसके सभी छंदों से नहीं; उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में पहले अतिरिक्त छंदों को गाने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ और पहले वाले (राष्ट्र-गान) के शुरुआती दो पद गा सकता हूँ (बाकी चार नहीं, जिनकी अब तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी) और पूरा राष्ट्र-गान भी गा सकता हूँ। मैं बस एक व्यावहारिक बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ जिसे हमारे जोशीले समर्थकों ने शायद नज़रअंदाज़ कर दिया है: इंसानी फ़ितरत। उन्होंने दोनों राष्ट्रीय रचनाओं की अवधि की तुलना करते हुए कहा कि 'जन गण मन' के लिए दर्शकों से एक मिनट से भी कम समय तक खड़े रहने की उम्मीद की जाती है, जबकि 'वंदे मातरम' को पूरा गाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा।थरूर ने तर्क दिया कि जन गण मन के लिए ज़रूरी है कि दर्शक सम्मान के साथ खड़े हों और पूरे 52 सेकंड तक अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखें। राष्ट्रगीत को पूरा गाने में 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं। तमिलनाडु ने अभी फ़ैसला किया है कि इन दोनों से पहले तमिल भाषा में राज्य-गीत गाया जाएगा, जिसमें 2 मिनट और लगेंगे। क्या हम सच में उम्मीद करते हैं कि दर्शक हर कार्यक्रम से पहले और बाद में छह मिनट तक—यानी कुल 12 अतिरिक्त मिनट—सम्मान के साथ और बिना हिले-डुले

खड़े रहेंगे? क्या सम्मान और धैर्य को क़ानून के ज़रिए लागू किया जा सकता है? उन्होंने कहा, "मुझे डर है कि इस बिल का मक़सद—राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान बढ़ाना—पूरा नहीं होगा, बल्कि इसका उलटा नतीजा भी निकल सकता है।

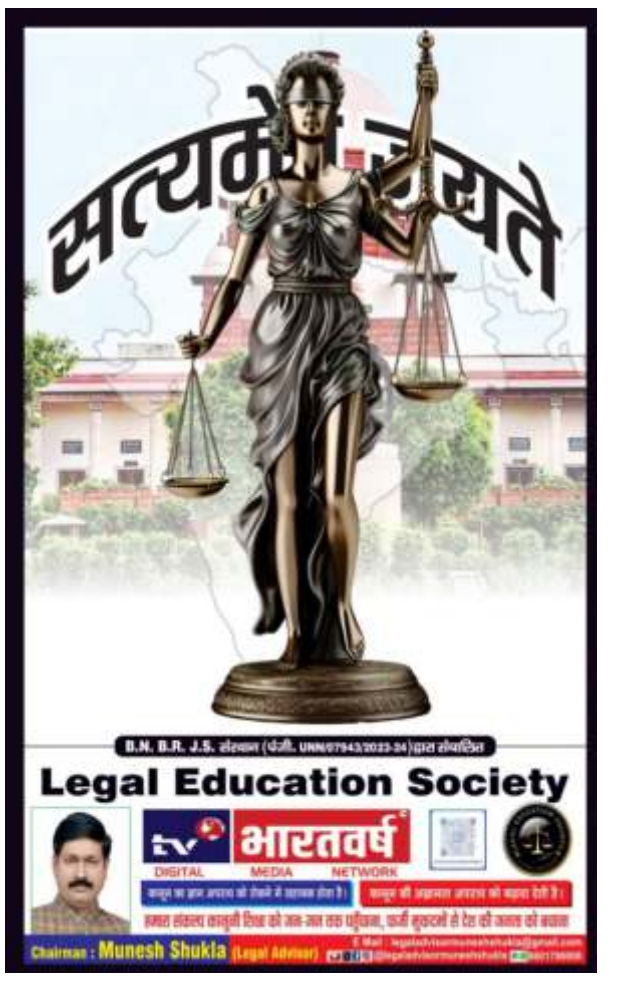

यूपी में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती, PET-2025 से होगा चयन; जानें योग्यता

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत होने वाली इस भर्ती के जरिए कुल 1251 पदों को भरा जाएगा। आयोग ने भर्ती से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET-2025 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। PET-2025 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।कौन कर सकता है आवेदन?पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय या पशुचिकित्सा महाविद्यालय से दो साल का पशुधन प्रसार डिप्लोमा होना चाहिए।उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान भी होना आवश्यक है। यानी सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हिंदी भाषा से जुड़ी निर्धारित योग्यता भी जरूरी होगी।उम्र सीमा क्या है?इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।PET-2025 जरूरीUPSSSC की इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का PET-2025 में शामिल होना जरूरी है। अभ्यर्थी के पास PET-2025 का नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों को अधिमानी अर्हता का लाभ भी मिल सकता है। इनमें प्रादेशिक सेना में कम से कम दो साल की सेवा या NCC का प्रमाणपत्र जैसी योग्यताएं शामिल हैं।इस भर्ती के जरिए उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग से जुड़ी सरकारी सेवा में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले आयोग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में अपनी योग्यता, उम्र और अन्य शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।

DRDO में अप्रेंटिसशिप का मौका, BE/BTech फ्रेशर्स के लिए 50 पद; ट्रेनिंग के साथ मिलेगा स्टाइपेंड

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) को योग्य लोगों की जरूरत है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स जो अपने करियर की अच्छी शुरूआत करना चाहते हैं, खासतौर से उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीआरडीओ की लैब अप्रेंटिस की भर्ती कर रही है। 50 सीटों के लिए उम्मीदवार सेलेक्ट किए जाएंगे। जिन्हें डीआरडीओ लैब में काम की ट्रेनिंग के साथ हर महीने पैसे भी मिलेंगे। दरअसल, डीआरडीओ की हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च (HEMRL) लैब समय-समय पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाता है। इसी क्रम में यह भर्ती भी निकाली गई है। इच्छुक कैंडिडेट्स को डीआरडीओ वेबसाइट drdo.gov.in के जरिए आवेदन पत्र ऑफलाइन भरना होगा। डीआरडीओ की यह वैकेंसी अप्रेंटिस कैटेगिरी बी.ई/बीटेक/जनरल स्ट्रीम के लिए हैं। लेकिन इसमें कैटेगिरी अलग-अलग रखी गई हैं। योग्यता के मुताबिक आप वैकेंसी नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं। डीआरडीओ अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल पूरी होनी चाहिए। अधिकतम उम्र अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस नियम 1992 और एनएटीएस 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। इसमें छूट भी इन्हीं नियमों के मुताबिक मिलेगी।

वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के लिए शुरू की जोरदार तैयारी

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल को अरेस्ट कर लिया गया

खेल जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर एक मेडिकल स्टूडेंट ने यौन हिंसा और क्रिमिनल धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोरेल पहले इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। शिकायत करने वाली महिला मेडिकल स्टूडेंट बताई जा रही है। उसका आरोप है कि वह और अभिषेक पोरेल करीब तीन साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच पिछले साल से मतभेद शुरू हुए। इसके बाद पोरेल कथित तौर पर उससे दूरी बनाने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था। बाद में उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत में महिला ने यौन संबंध बनाने के लिए शादी के वादे का आरोप लगाया है। साथ ही मारपीट और क्रिमिनल धमकी के भी आरोप लगाए गए हैं। हुगली रूरल पुलिस के SP कुंवर भूषण सिंह के मुताबिक, पुलिस ने अभिषेक पोरेल को दमदम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के इमामी सिटी से गिरफ्तार किया। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने क्रिकेटर को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है। बता दें अभिषेक पोरेल बंगाल के बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं। पोरेल बंगाल के लिए 2021-22 सीजन में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उतरे थे। इसके अलावा वह 2023 से IPL में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे। पोरेल इंडिया A टीम के साथ UK और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर चुके हैं। उनके नाम 32 फर्स्ट-क्लास और 23 लिस्ट A मैच हैं।

प्रज्ञाननंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता में सैमुअल सेवियन के साथ आसान ड्रॉ खेला

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी सैमुअल सेवियन के साथ आसान ड्रॉ खेला। इस वर्ष के टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त फैबियानो कारुआना 10 खिलाड़ियों के नौ दौर की इस प्रतियोगिता के पहले दौर में जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे जिससे उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। उन्होंने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फोरस्ट को हराया। विश्व चैम्पियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने आर्मेनियाई मूल के अमेरिकी खिलाड़ी लेवोन अरोनियन के साथ अंक साझा किए, जबकि जर्मनी के विन्सेंट कीमर ने अमेरिका के वेस्ली सो से बाजी ड्रॉ खेली। नीदरलैंड के अनीश गिरी ने भी फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञाननंदा के लिए यह एक अच्छी शुरुआत रही, क्योंकि उन्होंने काले मोहरों से खेलते हुए सेवियन के खिलाफ कोई गलती नहीं की। प्रज्ञाननंदा को बाजी ड्रॉ कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई क्योंकि अमेरिकी खिलाड़ी ने भी जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। दोनों खिलाड़ी 48 चाल के बाद अंक बांटने पर सहमत हो गए। कारुआना ने फोरस्ट को 55 चाल में हराकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब तक इस टूर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्यों हैं। उन्होंने अंतिम क्षणों में फोरस्ट की गलती का फायदा उठाकर पूरे अंक हासिल किये।

आशुतोष शर्मा चोट के कारण वनडे कप मैच से बाहर हो गए

भारतीय ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा को लेकर इंग्लैंड से बड़ी खबर सामने आई है। आशुतोष शर्मा चोट के कारण वनडे कप मैच से बाहर हो गए हैं। स्टार भारतीय ऑलराउंडर हैंपशायर की ओर से 11 अगस्त को डर्बीशायर के खिलाफ वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे। आशुतोष 9 अगस्त को मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। हैम्पशायर ने मैच से पहले ये जानकारी दी है। हैम्पशायर ने अपनी टीम की जानकारी देने के दौरान आशुतोष के न खेलने की बात बताई, लेकिन चोट या उसकी गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हैम्पशायर ने 11 अगस्त को एक बयान में कहा कि आशुतोष शर्मा रविवार के मैच में लगी चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं। तेज गेंदबाज हैरी पेट्री टीम में वापस आ रहे हैं। हैरी ने टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैचों में हिस्सा लिया था। वन-डे कप में बल्लेबाजी के लिहाज से आशुतोष का सीजन मिला-जुला रहा है। उन्होंने सात मैचों में सिर्फ 56 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 16 रहा है। हालांकि, 28 साल के आशुतोष ने गेंदबाजी में जबरदस्त छाप छोड़ी है और हैम्पशायर के लिए टूर्नामेंट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 7 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं। आशुतोष की चोट हैम्पशायर के लिए बड़ा झटका है। टीम अभी अपने ग्रुप में सात मैचों में चार जीत के साथ चौथे स्थान पर है। उन्हें कॉम्पिटिशन के अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी यह साफ नहीं है कि आशुतोष की चोट कितनी गंभीर है और क्या इसका असर 11 अगस्त के मैच के बाद भी उनकी उपलब्धता पर पड़ेगा।27 साल के आशुतोष इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। यह फ्रेंचाइजी GMR ग्रुप की को-ओन्ड है, जिसके पास हैम्पशायर की भी ओनरशिप है। पिछले दो IPL सीजन में उन्होंने DC के लिए 350 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 170 और औसत 31.25 रहा है। उन्होंने 2017 में मध्य प्रदेश के साथ अपना घरेलू करियर शुरू किया और बाद में रेलवे में चले गए। आशुतोष ने सभी फॉर्मेट में कुल 92 मैच खेले हैं। 50-ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने 21 लिस्ट A मैचों में 458 रन बनाए हैं और दो विकेट लिए हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के तौर पर डेब्यू किया और 17 गेंदों में 31 रन बनाए। बाद में DC ने 2025 सीजन से पहले उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा।

AI और तकनीक पर चर्चा के लिए 5 लाख प्रति घंटा दे रहे नवाब

सिलिकॉन वैली में 'नर्ड एस्कॉर्ट्स' का ट्रेंड

दुनियाभर में AI कई चीजें बदल रहा है. काम करने के तरीके से लेकर नई स्किल सीखने तक, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है. लेकिन क्या AI लोगों के रिश्तों और साथ की जरूरत को भी बदल रहा है? सिलिकॉन वैली में AI बूम के बीच एक ऐसा ट्रेंड सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. यहां हाई-एंड एस्कॉर्ट्स की एक छोटी-सी कैटेगरी तेजी से चर्चा में है. एस्कॉर्ट या कंपैनियन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, जो पैसे लेकर किसी के साथ वक्त बिताता है. इसमें बातचीत, डिनर या किसी कार्यक्रम में साथ जाना शामिल हो सकता है. कुछ मामलों में वयस्क सेवाएं और शारीरिक संबंध भी इसका हिस्सा हो सकते हैं. इन हाई-एंड एस्कॉर्ट्स की

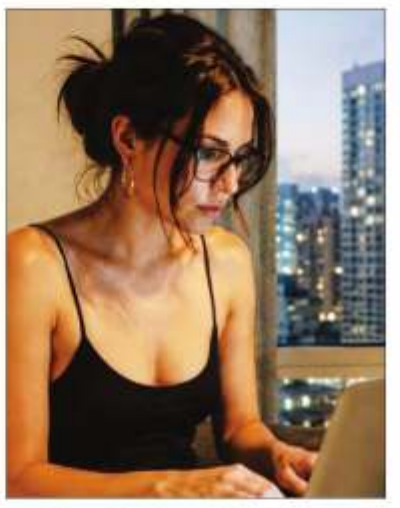

खासियत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं है. उन्हें AI, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोकरेंसी, स्टार्टअप और विज्ञान जैसे विषयों की भी अच्छी समझ होती है. यही वजह है कि AI इंडस्ट्री से जुड़े कई अमीर प्रोफेशनल्स इनके साथ समय बिताने के लिए एक घंटे के लाखों रुपये तक खर्च कर रहे हैं.

AI के दौर में इंसानी साथ की बढ़ती कीमत

AI चैटबॉट्स और वर्चुअल कंपैनियन अब लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं. ऐसे दौर में असली इंसान के साथ बातचीत और व्यक्तिगत जुड़ाव की अहमियत एक अलग तरह से सामने आ रही है. यही इस पूरे ट्रेंड का दिलचस्प पहलू है. AI जितना ज्यादा डिजिटल साथ को आसान और सस्ता बना रहा है, उतना ही कुछ लोगों के लिए असली इंसानी साथ एक महंगी लग्जरी बनता जा रहा है. सिलिकॉन वैली की 'नर्ड एस्कॉर्ट्स' की कहानी इसी बदलती दुनिया की एक झलक देती है.

दुबई की घटना चर्चा में

सोने का ब्रेसलेट देखकर भी नहीं बदली नीयत

किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर अगर सोने का गहना खो जाए, तो ज्यादातर लोगों की पहली सोच यही होती है कि अब वह शायद कभी वापस नहीं मिलेगा. यूएई में रहने वाली एक भारतीय महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. लेकिन दुबई मॉल में उनके साथ जो हुआ, उसने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. भारतीय मूल की केतकी शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए दुबई मॉल गई थीं. शॉपिंग के दौरान अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में पहना सोने का

ब्रेसलेट गायब है. पहले तो उन्हें लगा कि शायद कहीं बैग में रख दिया होगा, लेकिन काफी तलाश के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो उनकी चिंता बढ़ गई. केतकी और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन सभी दुकानों और रास्तों पर जाकर ब्रेसलेट खोजा, जहां-जहां वे गए थे.

घिनौना है टमाटर फेंकने वाला जश्न!

'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' में दिखा ला टोमाटीना फेस्टिवल लाखों लोगों का सपना बन गया था. लेकिन स्पेन पहुंची एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया है कि असल अनुभव फिल्म से बिल्कुल अलग और काफी मुश्किल भरा है.

अगर आपने 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' देखी है, तो स्पेन के मशहूर ला टोमाटीना फेस्टिवल का वह रंग-बिरंगा सीन शायद आज भी याद होगा.

फिल्म में हजारों लोग एक-दूसरे पर टमाटर फेंकते हुए मस्ती करते नजर आए थे. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय इस फेस्टिवल को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल करते हैं. लेकिन हाल ही में स्पेन के बुन्योल में

आयोजित इस फेस्टिवल में शामिल हुई भारतीय कंटेंट क्रिएटर अनाली गुप्ता ने ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

उनका कहना है कि फिल्म में जो दिखाया गया, असलियत उससे काफी अलग है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में अनाली ने कहा, "मैं अभी टोमैटो फेस्टिवल से वापस आ रही हूं. आपको लगता होगा कि मैंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा मजेदार अनुभव किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ." उन्होंने बताया कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें सबसे बड़ा झटका टमाटरों की हालत देखकर लगा. उनके मुताबिक, फेस्टिवल में इस्तेमाल होने वाले कई टमाटर जरूरत से ज्यादा पके हुए या सड़े हुए थे, जिनसे तेज बदबू आ रही थी. अनाली ने बताया कि बदबू इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खुद उल्टी आने जैसा महसूस होने लगा. उन्होंने कहा कि उनके आसपास मौजूद कई लड़कियां लगातार उल्टियां कर रही थीं.

क्या है ला टोमाटीना फेस्टिवल?

ला टोमाटीना दुनिया के सबसे मशहूर फूड फेस्टिवल्स में से एक है. यह हर साल स्पेन के बुन्योल शहर में आयोजित होता है, जहां हजारों लोग एक-दूसरे पर टमाटर फेंककर जश्न मनाते हैं. दुनियाभर से पर्यटक इसमें हिस्सा लेने पहुंचते हैं और बॉलीवुड फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' के बाद भारतीय पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता कई

शादी में मां को नहीं बुलाया तो बॉस ने नौकरी से निकाला

चीन में एक कंपनी के मालिक का फैसला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. इस कारोबारी को लोग 'चीन का सबसे दरियादिल बॉस' कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने अपने एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने अपनी ही मां को शादी में नहीं बुलाया था. कर्मचारी का कहना था कि उसे अपनी मां के साधारण रूप-रंग की वजह से शर्म आती थी.

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर का इशारा, रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने को बताया 'पैटर्न'

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के फिल्म 'डॉन 3' से अलग होने का मामला काफी समय तक चर्चा में रहा था। अब एक बार फिर यह विवाद सुर्खियों में आ गया है। फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर ने रणवीर का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग 'डॉन 3' से जोड़कर देख रहे हैं। फरहान इन दिनों अपनी पहली फिल्म 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे होने को लेकर चर्चा में हैं। इसी दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े एक पुराने किस्से के साथ रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने का भी जिक्र किया। हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में फरहान अख्तर ने 'दिल चाहता है' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले सैफ अली खान के सामने डेट्स की समस्या आ गई थी। दरअसल, सैफ की दूसरी फिल्म का शेड्यूल बदल गया था। इसके चलते उन्होंने 'दिल चाहता है' से अलग होने का फैसला किया था। फरहान ने बताया कि उस समय सैफ का फिल्म छोड़ना उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। फरहान के मुताबिक, सैफ के अलावा उन्हें उस किरदार के लिए कोई दूसरा अभिनेता सही नहीं लग रहा था। हालांकि, बाद में सैफ फिल्म का हिस्सा बने और उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया। सैफ अली खान के फिल्म छोड़ने की बात करते हुए फरहान ने रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने का भी जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने रणवीर का नाम नहीं लिया। फरहान ने कहा कि सैफ की तरह ही रणवीर भी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले प्रोजेक्ट से अलग हुए थे। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "यह आजकल एक पैटर्न जैसा लगता है।" फरहान की इस बात पर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी हंस पड़ा। इसके बाद फरहान ने कहा कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं होता, बल्कि दूसरे मामलों में भी ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। बता दें कि रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले फिल्म से हटने का फैसला किया था। इसके बाद रणवीर और फरहान अख्तर के बीच मतभेदों की खबरें सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फिल्म से बाहर होने के बाद रणवीर ने अपना साइनिंग अमाउंट वापस करने की पेशकश की थी। वहीं, मेकर्स की ओर से प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान के लिए कथित तौर पर 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग किए जाने की बात भी सामने आई थी। यह विवाद बाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज तक भी पहुंच गया था। संस्था ने रणवीर के खिलाफ असहयोग का फैसला लिया था, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। FWICE ने यह भी स्पष्ट किया था कि रणवीर सिंह पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। इस पूरे मामले पर रणवीर की ओर से ज्यादातर उनके प्रवक्ता के जरिए ही प्रतिक्रिया सामने आई थी।

IRCTC के पूर्व अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की जेल, CBI कोर्ट ने लगाया ₹14.75 लाख जुर्माना

लखनऊ में एलडीए के जेई समेत तीन लोग 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़े। मकान निर्माण रोकने की धमकी देकर रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई।

आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में लखनऊ की CBI अदालत ने IRCTC के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से जुड़ा है। लखनऊ की CBI अदालत ने सोमवार को IRCTC के लखनऊ रीजनल ऑफिस के तत्कालीन चीफ रीजनल मैनेजर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया।अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद उन्हें दोषी ठहराया और तीन साल की जेल के साथ 14.75 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 31 अक्टूबर 2009 को किए गए एक ट्रैप ऑपरेशन से जुड़ा है। CBI के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान त्रिपाठी को कथित तौर पर 70,000 रुपये की अवैध रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। ट्रैप ऑपरेशन के बाद हुई जांच में CBI को ऐसे सबूत मिले, जिनसे कथित तौर पर पता चला कि त्रिपाठी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की थी। CBI ने इस मामले में 24 फरवरी 2010 को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने 13 दिसंबर 2011 को कृष्ण मोहन त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली, जहां अभियोजन पक्ष ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश किए। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि त्रिपाठी के पास करीब 1.44 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी। जांच में यह संपत्ति उनकी संबंधित अवधि के दौरान कुल ज्ञात आय से 102.53 प्रतिशत अधिक पाई गई। ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। यह सजा ऐसे समय में आई है जब CBI उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिन पर अपनी वैध या ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। पिछले साल जनवरी में अहमदाबाद की एक CBI अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के पूर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को 3 साल की कठोर कैद और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि अनिल कुमार सिंह के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 314 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। CBI मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के नए मामले दर्ज कर रही है। फरवरी 2026 में एजेंसी ने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि करीब ढाई साल की अवधि में उन्होंने लगभग 54 लाख रुपये की ऐसी संपत्ति जमा की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक थी। IRCTC के पूर्व अधिकारी कृष्ण मोहन त्रिपाठी को मिली सजा इसी तरह के आय से अधिक संपत्ति मामलों में सीबीआई की कार्रवाई और अदालतों के फैसलों की कड़ी में सामने आई है।

शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक,अभ्यर्थियों को लटकाना ठीक नहीं

जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ में कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में है। उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा कि मामला चाहे इधर वालों के पक्ष में हो या दूसरे पक्ष के, लेकिन इस पर फैसला जल्द होगा चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार तीन दिन करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा है कि वह इस मामले को लेकर समूह तैयार करें। मसलन, इस मामले से जुड़े आवेदनकर्ताओं, वादी और प्रतिवादियों को श्रेणी कौन-कौन से है। उनकी क्या आपत्तियां है या उनके आवेदनों में क्या मांगे है आदि। सरकारी वकील से कहा गया है कि वह एक सूची तैयार करें जिसमें यह निश्चित हो कि किन-किन पशुओं को किन-किन मसलों पर सुना जाना है। सरकारी वकील को दो हफ्ते के भीतर इस बारे में अदालत को अपना खाखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सभी पक्षों को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा।बता दे कि पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी लेकिन पिछली सुनवाई से पीठ बदल गई है और अब नई पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। नई पीठ इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने के लिए यह वक्त लिया है।

रहीमाबाद से पहले फ्लाईओवर पर यात्री को उतारना पड़ा महंगा, बस चालक-परिचालक निलंबित

कैसरबाग से रहीमाबाद जा रहे एक यात्री को निर्धारित बस स्टॉप पर छोड़ने के बजाय 1 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर पर उतारना महंगा पड़ा गया। परिवहन निगम ने बस चालक अनिल कुमार और परिचालक अनुपमा चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। यात्री ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। ये पूरा मामला बीते 18 जुलाई का है। रहीमाबाद के रहने वाले हसीब कैसरबाग बस अड्डे से रोडवेज बस में सवार हुए थे। हसीब का आरोप है कि बस चालक ने उन्हें रहीमाबाद बस स्टॉप तक ले जाने के बजाय 1 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर के ऊपर बस रोक कर उतार दिया। जब उन्होंने बस को स्टॉप तक ले जाने का अनुरोध किया तो चालक अनिल कुमार और परिचालक अनुपमा चौधरी ने अभद्रता की और आगे बढ़ गए। इसके बाद उनको भीषण गर्मी में करीब एक किलोमीटर पैदल

चलना पड़ा। हसीब ने इस पूरे घटनाक्रम और दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल यानी IGRS के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए परिवहन निगम के अधिकारियों ने चालक व परिचालक को अगले आदेश तक ड्यूटी से रोकते हुए निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ आगे की कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि रहीमाबाद पुल के नीचे बस स्टॉप निर्धारित है और बसों को वहीं रोककर यात्रियों को उतारने व चढ़ाने का सख्त आदेश है। फ्लाईओवर पर बस रोककर यात्रियों को उतारना सुरक्षा मानकों और नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। सभी चालकों और परिचालकों को यात्रियों के साथ शालीन व सम्मानजनक व्यवहार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

मदरसों में 'हर घर तिरंगा' अभियान पर सियासत तेज AAP विधायक जुबैर ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विभाग को साफ आदेश जारी किए हैं कि 9 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी मदरसों में देशभक्ति के कार्यक्रम हों। इसमें तिरंगा यात्रा, राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत, भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल हैं। स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा भी कराने को कहा गया है। सरकार ने सिर्फ कार्यक्रम कराने तक सीमित नहीं रखा। जनपदवार रिपोर्ट, फोटो-वीडियो और अखबारों की कटिंग भी जमा करानी होगी। राज्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर यह अभियान चल रहा है। मदरसों के छात्रों को इससे जोड़ना जरूरी है ताकि राष्ट्रप्रेम की भावना बढ़े। इस फैसले पर दिल्ली के आप विधायक चौधरी जुबैर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा धार्मिक जगहों खासकर मस्जिदों और मदरसों को लेकर इतनी उत्साहित क्यों रहती है। वहां तिरंगा फहराने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। मैं बार-बार यही बात कहता आया हूं और देश के मुसलमान भी

यही मानते हैं कि तिरंगा छत पर नहीं, दिलों में बसता है। जुबैर का यह बयान उस समय आया जब सरकार मदरसों में 15 अगस्त को झंडा फहराने और बड़े कार्यक्रम कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह के अभियान का क्या मतलब है। उनके मुताबिक मुसलमानों के दिल में तिरंगा पहले से ही जगह बना चुका है। सरकार का पक्ष साफ है। वह चाहती है कि मदरसों के बच्चे भी राष्ट्रगान गाएं, तिरंगा लेकर निकलें और देश के लिए अपना प्यार जताएं। कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो जमा कराने का मतलब है कि विभाग हर जिले से रिपोर्ट मांगेगा और देखेगा कि कितने मदरसे इसमें शामिल हुए।

पावर कार्पोरेशन प्रबंधन और विद्युत वितरण निगमों के प्रबंधन को फटकार

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर की गई अतिरिक्त वसूली के मामले को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन और विद्युत वितरण निगमों के प्रबंधन को फटकार लगाई है। 20 अगस्त तक उपभोक्ताओं को रुपये लौटाने, हलफनामा देने और इसी दिन सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। प्रदेश के उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए सिंगल फेस पर 6,016 रुपये तथा थ्री फेस पर 11,341 रुपये की दर से वसूली की गई थी। मामला नियामक आयोग पहुंचा। आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत तय कर दी। सिंगल फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 2800 रुपये और थ्री फेस की कीमत 4100 रुपये लेने का निर्देश दिया। तय कीमत से अधिक वसूली गई रकम उपभोक्ताओं को लौटाने का निर्देश दिया। 11 अगस्त तक सभी बिजली कंपनियों के निदेशक (वाणिज्य) को खुद उपस्थिति होने का निर्देश दिया था। ऐसे में मंगलवार को पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा व मध्यांचल के अधिकारी आयोग पहुंचे। बताया कि जुलाई और अगस्त माह में कुल 93,138 विद्युत उपभोक्ताओं को धनराशि वापस की जानी थी, जिसमें 85,458 सिंगल फेस तथा 7,680 थ्री फेस उपभोक्ता शामिल हैं। इन्हें 33.22करोड़ के सापेक्ष 30.86 करोड़ के बिलों में वापस किया जाना है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों में ₹2.66 करोड़ के गबन का आरोप

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 2.66 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोपी तत्कालीन प्रधानाचार्य जीतलाल पटेल को यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू की लखनऊ सेक्टर की टीम ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डीजी ईओडब्ल्यू जेएन सिंह ने बताया कि गृह विभाग के आदेश पर ईओडब्ल्यू ने प्रयागराज के चार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। ये अनियमितताएं वर्ष 2018 से 2022 के बीच अंजाम दी गई थीं, जिसकी एफआईआर स्टेट एसआईटी के थाने पर दो वर्ष पूर्व दर्ज की गई थी। विवेचना में पता चला कि आरोपियों द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी किए अनाश्यक सामग्री क्रय कर कुल 2,66,03,807 रुपये के शासकीय धन का गबन किया गया। विवेचना में एटीएस सुरवल शाहनी के

तत्कालीन प्रधानाचार्य जीतलाल पटेल सहित 5 लोकसेवक एवं 12 निजी लोगों की भूमिका सामने आई। जीतलाल पटेल गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर ईओडब्ल्यू की लखनऊ टीम ने उसे सोमवार को थाना संगकरगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 2.66 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी तत्कालीन प्रधानाचार्य को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। आरोप है कि बिना निविदा प्रक्रिया के अनावश्यक सामग्री खरीदकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उन्नाव में BJP विधायक ने जिला पंचायत के बाबू पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, लोकायुक्त से जांच की मांग

उन्नाव में बीजेपी से सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला पंचायत कार्यालय में तैनात बाबू के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त से शिकायत की है। अपने शिकायती पत्र में सदर विधायक ने बताया है कि नक्शा पास करने में घोर अनियमिताएं बरती जा रही हैं। अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर रिश्वत की रकम से बड़ी संख्या में संपत्ति बनाई गई है। कई संपत्तियां गिफ्ट के रूप में भी मिली है। बाबू शासनादेश के अनुसार जिले में निवास भी नहीं करते हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उल्लेखनीय है जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की ही शकुन सिंह विराजमान है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर विधानसभा से विधायक और स्थानीय निकायों के लेखक परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समिति के सभापति पंकज गुप्ता ने 3 जुलाई, 2026 को लोकायुक्त में शिकायत की थी। जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग को भी दी गई थी। अब शिकायती पत्र सामने आया है। अपने पत्र में सदर विधायक ने बताया कि जिला पंचायत में तैनात बाबू मनोज कुमार पाल बीते कई वर्षों से मानचित्र पटल का कार्य देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत के पास है जो जिला पंचायत के लिए आय का प्रमुख साधन है। जिले में विगत कई वर्षों से मानचित्र उपविधि लागू है लेकिन अपेक्षा के अनुरूप इनकम नहीं हुई है। पंकज गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि जिले में प्लाटिंग, वेयरहाउस, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर लगातार हो रहे हैं। लेकिन कार्यालय के संज्ञान में लाये बिना ही मनोज पाल निजी हितों की पूर्ति करते हुए संबंधित को भरोसा देते हैं कि जिला पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप निर्माण कार्य करते रहे। जिससे जिला पंचायत को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि हुई है। जबकि मनोज पाल की चल अचल संपत्तियों में इजाफा हुआ है। मनोज कुमार पाल स्वयं, अपनी पत्नी और परियोजनाओं के नाम पर कई संपत्तियां अर्जित की है और अभी भी कर रहे हैं। सदर विधायक ने बताया कि मनोज कुमार पाल ने एक खेल यह भी किया है कि काफी संख्या में भूखंड स्वामियों को मानचित्र पास करने के लिए नोटिस जारी की। नोटिस के आधार पर मिलने आए लोगों में से एक दो का नक्शा पास कराया गया। शेष को मिली-भगत से छोड़ दिया गया। जिससे जिला पंचायत को काफी नुकसान हुआ है। सदर विधायक ने यह भी बताया है कि शासनादेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी को नियुक्त जिले के मुख्यालय पर ही निवास करना आवश्यक है लेकिन मनोज पाल जनपद मुख्यालय में न रहकर प्रतिदिन लखनऊ से चार पहिया वाहन से आते जाते हैं। इसका प्रमाण नवाबगंज टोल बैरियर या मोबाइल के गूगल टाइमलाइन है। इसके पूर्व भी मनोज कुमार पाल के खिलाफ कई शिकायतें की गई जो लंबित है।

नाली के पानी के रिसाव से कमजोर हुआ बिजली का खंभा, हादसे का खतरा

उन्नाव के कंचन नगर ए स्थित मनसाखेड़ा कॉर्नर के पास एक बिजली का खंभा झुक गया है। नाली के पानी के रिसाव के कारण खंभा कमजोर होकर झुका है, जिससे बिजली के तार नीचे लटककर एक मकान की दीवार से टकरा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मंगलवार को बिजली विभाग पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कंचन नगर ए निवासी सियाराम ने बताया कि यह खंभा उनके घर के सामने है। खंभे के पास से गुजरने वाले नाली के पानी के कारण यह धीरे-धीरे झुक गया है। इस समय खंभा मकान की दीवार की ओर झुका हुआ है और तार काफी नीचे लटक रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। सियाराम के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में पावर हाउस के जूनियर इंजीनियर (जेई) और अधिशासी अभियंता को भी सूचित किया है। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जेई ने कथित तौर पर बताया कि आसपास के लोगों ने आगे बढ़कर मकान बना लिए हैं, जिससे खंभा लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। उन्होंने पहले मकान गिराने की बात कही थी।

724 पट्टाधारकों को 23 साल बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला

तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकोहरी में वर्ष 2003 में कृषि भूमि के पट्टे पाने वाले 724 लोगों को 23 साल बाद भी जमीन का हक नहीं मिल सका है। पट्टाधारकों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराकर खतौनी जारी किए जाने की मांग की है। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकोहरी में प्रशासन की लापरवाही इस कदर देखने को मिल रही कि 23 वर्ष पूर्व हुए 724 ग्रामीणों के पट्टे की भूमि को आज तक खतौनी में दर्ज नहीं किया गया है। इसके चलते पट्टा धारक परेशान है। ग्राम पंचायत के पंकज, प्रताप सिंह, पंचीलाल, मुन्ना, सलोचनी, लक्ष्मी आदि ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत अकोहरी में कृषि भूमि के पट्टों की जांच कर पात्रता के आधार पर वर्ष 2003 में 724 लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे। आरोप है कि इतने वर्षों बाद भी कई पट्टाधारकों के नाम खतौनी में दर्ज नहीं किए गए। गरीब भूमिहीन परिवारों की जमीन पर कब्जे के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया कि पट्टा आवंटन के बावजूद खतौनी में नाम दर्ज न होने से जमीन का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पट्टाधारकों ने मुख्यमंत्री से पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने और अकोहरी गांव में वर्ष 2003 में आवंटित 724 पट्टों के लाभार्थियों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी जारी किए जाने की मांग की है।

आईजीआरएस शिकायतों में संतुष्टि स्तर घटने पर डीएम ने बीडीओ को लगाई फटकार

उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान आईजीआरएस में शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि स्तर में कमी मिलने पर उन्होंने कई खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि दो दिन के भीतर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने गंजमुरादाबाद, सिकंदरपुर कर्ण, सिकंदरपुर सरोसी, सफीपुर, नवाबगंज और फतेहपुर चौरासी के खंड विकास अधिकारियों की खराब प्रगति पर विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का केवल निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी अत्यंत आवश्यक है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से समझें और उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद असंतुष्टि का स्तर बढ़ना चिंता का विषय है। संबंधित अधिकारी इसकी गहन समीक्षा कर कमियों को दूर करें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले। इसके उपरांत, जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से तहसीलवार राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की जानकारी ली। उन्होंने धारा 34, 24 और 116 से संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर लंबित वादों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में फैमिली आईडी के साथ अंश निर्धारण के कार्य की भी समीक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में मेले का आयोजन किया गया

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में मेले का आयोजन किया गया। इसमें साक्षात्कार के जरिए 16 दिव्यांगों को नौकरी मिली। मेले का उद्घाटन कौशल विकास मिशन के जिला प्रभारी आशीष कौशिक व जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीती चंद्रा ने किया। वहीं डॉ. रेड्डी, प्रथम एडुकेशन, अमेजन आदि कंपनियों ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मेले में प्रतिभाग किया। कुल 57 दिव्यांगों ने रोजगार मेले में पहुंचकर पंजीकरण कराया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शैक्षिक योग्यता के अभिलेखों की जांच की। इसके बाद साक्षात्कार लिया। इसमें 16 का चयन किया गया। चयनित दिव्यांगों को कंपनियों के कामकाज की जानकारी दी गई। जिला प्रभारी ने बताया कि मेले के आयोजन के पीछे का उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी प्रतिभा, क्षमता का उचित उपयोग करना रहा। इस मौके पर मिशन प्रबंधक सुजीत सिंह, आशीष सिंह, धर्मेंद्र मिश्रा तथा आईटीआई से रवि रंजन व गौरीशंकर आदि मौजूद रहे।

उन्नाव में मोबाइल चोरी के शक में युवक को सरेआम अपमानित करने का आरोप

उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक को कथित तौर पर दबंगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को लखनऊ से पकड़कर गांव लाया गया, उसके हाथ बांधकर चप्पलों की माला पहनाई गई और सिर व मूंछ के बाल काटकर उसे गांव में घुमाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।मामला पाठकपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी राजू अपनी बाग में झोपड़ी बनाकर रहते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। बताया गया कि 30 जुलाई को उनकी झोपड़ी से मोबाइल फोन गायब हो गया। अगले दिन राजू को कथित तौर पर जानकारी मिली कि सोनू नाम का युवक मोबाइल लेकर लखनऊ में है।इसके बाद राजू लखनऊ पहुंचे और सोनू को गांव लेकर आए। आरोप है कि गांव में मोबाइल के संबंध में उससे पूछताछ की गई। जब युवक ने मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार नहीं की तो उसके साथ कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया।आरोप है कि युवक के हाथ बांधकर उसके गले में चप्पलों की माला डाल दी गई। इसके बाद उसके सिर के बाल काट दिए गए और मूंछ भी काटी गई। फिर उसे गांव में घुमाया गया। इस पूरी घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। सीओ बांगरमऊ हर्ष मोदी के मुताबिक, वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है और जांच में वीडियो में दिखाई दे रही घटना की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है।

संतकबीरनगर में CM योगी का बड़ा दावा बोले- 2014 के बाद 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार जुड़े

संतकबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 684 करोड़ रुपये से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।उन्होंने रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष पर निशाना साधा।योगी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ संपत्ति जब्ती और आजीवन कारावास की सख्त चेतावनी भी दी।

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ₹684 करोड़ से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में रोजगार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उच्च शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास (स्किलिंग) पर अपनी बात रखी, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 47 करोड़ लोगों को काम मिला था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुल रोजगार बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया है, यानी बीते सालों में 17 करोड़ 18 लाख नए काम के अवसर जुड़े हैं। इसके साथ ही देश में नया व्यापार (स्टार्टअप) शुरू करने का माहौल तेजी से बदला है। 2014 से पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 2,23,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं बड़े और सफल स्टार्टअप (यूनिकॉर्न) की संख्या भी 4 से बढ़कर 125 तक पहुंच गई है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े-लिखे हैं या नहीं हैं, आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी-कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंट के रूप में 56 से 60 फीसदी युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। यह आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, यह स्किल डेवलपमेंट सेंटर की सीरीज इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाई जाएगी।

डाक कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच पुलिस ने शिव चौक पर सख्ती बढ़ा दी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे डाक कांवड़ियों की रफ्तार और संख्या दोनों बढ़ गई हैं। इसी के साथ मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। हाथों में लाठी-डंडे और फरसे लेकर गुजर रहे कांवड़ियों को रोककर पुलिस इन सामानों को अपने कब्जे में ले रही है। मंगलवार दोपहर तक पुलिस कई दर्जन डंडे और तीन फरसे जब्त कर चुकी थी। शिव चौक पर डाक कांवड़ियों का लगातार रेला पहुंच रहा है। तेज रफ्तार से दौड़ते कांवड़ियों के बीच अपनी जान दांव पर लगा पुलिसकर्मियों ने कुछ कांवड़ियों के हाथों में लाठी, डंडे और फरसे दिखाई देने पर उन्हें तत्काल रोकना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी उनके हाथों में मौजूद लाठी-डंडे और फरसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। जब्त किए गए सामान को मौके से हटाकर संबंधित कोतवाली में तत्काल जमा कराया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्य फोकस कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और भीड़ के बीच किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है। यात्रा के अंतिम चरण में डाक कांवड़ियों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। शिव चौक पर भी पुलिसकर्मी लगातार आने-जाने वाले कांवड़ियों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे भीड़ के बीच विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

फर्जी LLB मार्कशीट से वकालत का आरोप, प्रयागराज में 39 अधिवक्ताओं पर FIR

प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस ने कथित तौर पर एलएलबी के फर्जी अंक पत्र के आधार पर नामांकन कराने और वकालत का प्रमाण पत्र (सीओपी) हासिल करने वाले 39 अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिविल लाइंस थाना के प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय यादव ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल, उप्र) के सचिव आरके शुक्ला ने ऐसे 105 अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी है जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी अंक पत्र के आधार पर सीओपी हासिल किया और वकालत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में 39 अधिवक्ताओं के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और अगले एक- दो दिनों में शेष अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की विवेचना शुरू की जाएगी। पुलिस द्वारा शुक्रवार को सहारनपुर निवासी दीपक कश्यप के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहम्मद कफील बनाम उप्र सरकार के मामले में तीन जून, 2026 को पारित आदेश में निर्देश दिया था कि बार काउंसिल, उप्र में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जिनकी डिग्री सत्यापन के दौरान फर्जी पाई गई, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। तहरीर के मुताबिक, दीपक कश्यप ने सीओपी आवेदन के साथ जो डिग्री संलग्न की थी, उसके सत्यापन के लिए उसे श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, राजस्थान प्रेषित किए जाने पर यह आख्या प्राप्त हुई कि अभिलेख के अनुसार, अंक पत्र की छायाप्रति गलत एवं असत्य है।

नोएडा में असम की एक युवती की हत्या कर दी गई पीजी में सहेली के साथ रहती थी

उत्तर प्रदेश के नोएडा के बरौला गांव स्थित बंसल मंदिर के पास एक पीजी में असम की 19 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती का लहूलुहान शव उसी मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले एक युवक के कमरे से बरामद हुआ। शव पर धारदार हथियार से कई वार किए जाने के निशान मिले हैं। वारदात के बाद आरोपी कमरे में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी मूल रूप से बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है।मृतका की पहचान महक अहमद के रूप में हुई है। वह मूलरूप से असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली थी। महक 12वीं पास थी और करीब तीन सप्ताह पहले ही अपने माता-पिता को बिना बताए नोएडा आई थी। वह अपनी पुरानी सहेली संजना के साथ बरौला गांव स्थित पीजी में रह रही थी। संजना भी असम की रहने वाली है और उसकी उम्र 18 वर्ष है। वह अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवतियां तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। इसी मंजिल पर बिहार के कटिहार निवासी रमन का कमरा भी था। बताया जा रहा है कि रमन बीटेक कर चुका है और पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था। हालांकि मकान में रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार था। पुलिस उसके रोजगार और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की भी जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 8 अगस्त की रात महक और उसकी सहेली संजना अपने कमरे के बाहर लॉबी में टहल रही थीं। इसी दौरान रमन अपने कमरे के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस इस घटनाक्रम को हत्या की वजह से जोड़कर जांच कर रही है।